


134



न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्र. 12017-18 निगरानी-5001/2018/शाजापुर/भू.रा.

1. देवबक्ष पिता धनसिंह आयु 60 वर्ष
व्यवसाय-कृषि
2. बाबूलाल पिता देवबक्ष आयु-40 वर्ष
व्यवसाय कृषि समस्त निवासीगण-ग्राम
अवंतिपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर
.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. हरलाल पिता कुंवरजी आयु 60 वर्ष
2. मनोहर पिता विष्णु प्रसाद आयु 40 वर्ष
समस्त निवासीगण-ग्राम अवंतिपुर बड़ौदिया
जिला शाजापुर
3. शासन द्वारा नायब तहसीलदार अवंतिपुर
बड़ौदिया जिला शाजापुर ...अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय तहसील अवंतिपुर बड़ौदिया के द्वारा प्रकरण क्र. 0001/अ-13/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करता है।


प्रकरण का विवरण

यह कि अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय अवंतिपुर बड़ौदिया के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 131, 132 भू.राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5001/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कमल सिंह आंजना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	